

- पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।
- महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर पं/पलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किया जागरूक।

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 26.06.2024 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों/कस्बों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाइन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरूक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में दिनांक 25.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा टीम गठित टीम के 30नि0 अर्जुन पटेल के द्वारा एक नफर अभियुक्त देवसिंह पुत्र स्व0 हरिचरन राजपूत उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम बमरारा थाना चरखारी जनपद महोबा को महाकाल ढाबा के आगे नहर की पुलिया थाना चरखारी जनपद महोबा से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची देशी शराब महुआ नाजायज के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 151/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

देवसिंह पुत्र स्व0 हरिचरन राजपूत उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम बमरारा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.30नि0 अर्जुन पटेल
- 2.हे.का.श्याम सिंह



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शस्त्र की बिक्री, परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा टीम गठित टीम के उ.नि.राजकुमार यादव मय हमराह का.वीरेश्वर दत्त मिश्रा द्वारा अभियुक्त नरेश चन्द्र यादव पुत्र जमुना प्रसाद उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा को गुढा नहर की पुलिया से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर अवैध व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 152/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

नरेश चन्द्र यादव पुत्र जमुना प्रसाद उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ.नि.राजकुमार यादव
- 2.का.वीरेश्वर दत्त मिश्रा



अन्तर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर नशाखोरी से बचने व बचाने के लिए ली गई शपथ ।

आज दिनांक 26.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में अन्तर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर जनपद के समस्त कार्यालय/थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों को मादक पदार्थों के प्रयोग से जीवन और स्वास्थ्य में होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया, साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में जाकर आम जनमानस को नशा से आजादी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित किए गए चौपालों में नशीली दवाओं मादक पदार्थों के प्रयोग से होने वाले धन, स्वास्थ्य व परिवार के नुकसान व अवैध तस्करी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई ।

नशे के विरुद्ध लोगों में जागरूकता लाने हेतु दिनांक 12.06.2024 से दिनांक 26.06.2024 तक 'नशा मुक्त भारत पखवाड़ा' के दौरान कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।



थाना कबरई की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध रूप से संचालित जुआ/सट्टा की प्रभावी रोकथाम हेतु ऐसे अपराधों में सलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.06.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम, व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के 30नि0 श्री रामकिशन यादव मय हमराह के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ताश के पत्ते से हारजीत की बाजी लगा कर रुपये से जुआ खेल रहे अभियुक्तगण 1. सुखराम कुशवाहा पुत्र बलराम उम्र 32 वर्ष, 2. हीरालाल कुशवाहा पुत्र सेवक राम उम्र 44 वर्ष, 3. ओम प्रकाश कुशवाहा पुत्र लल्लू कुशवाहा उर्फ आशाराम उम्र 30 वर्ष, 4. राहुल कुशवाहा पुत्र रामकरन उम्र 21 वर्ष, 5. कलुआ उर्फ छोटेलाल पुत्र कालीदीन उम्र 20 वर्ष, 6. पेठा धुरिया पुत्र रामसनेही उम्र 40 वर्ष को मु0 इन्द्रानगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनके जामा तलाशी से जामा तलाशी के 450 रुपये, माल फड़ 2210 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 172/24 धारा 13 जी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुखराम कुशवाहा पुत्र बलराम उम्र 32 वर्ष नि0ग्राम बरबई थाना कबरई जनपद महोबा, 2. हीरालाल कुशवाहा पुत्र सेवक राम उम्र 44 वर्ष नि0ग्राम कैमहा थाना कबरई जनपद महोबा, 3. ओम प्रकाश कुशवाहा पुत्र लल्लू कुशवाहा उर्फ आशाराम उम्र 30 वर्ष नि0मु0 इन्द्रानगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा, 4. राहुल कुशवाहा पुत्र रामकरन उम्र 21 वर्ष नि0मु0 इन्द्रानगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा, 5. कलुआ उर्फ छोटेलाल पुत्र कालीदीन उम्र 20 वर्ष नि0मु0 रानीलक्ष्मीबाई नगर थाना कबरई जनपद महोबा, 6. पेठा धुरिया पुत्र रामसनेही उम्र 40 वर्ष नि0मु0 इन्द्रानगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. 30नि0 श्री रामकिशन यादव
2. हे0कां0 शिवमहन्त मौर्य
3. कां0 अंकुश पाल
4. कां0 विनीत कुमार

विवरण माल बरामदगी-

जामा तलाशी के 450 रुपये, माल फड़ 2210 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते।



